CBI Chargcshcct against IAS Officials of Punjab for Disproportionate Assets

3563. SHRI AMAR SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether CBI has chargesheeted senior IAS officials of the Punjab Government for amassing assets disproportionate to their known sources of income;

(b) if so, the details' thereof, including the charges against each officials; and

(c) whether these officials have since been suspended; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) No, Sir. The Central Bureau of Investigation has, at the request of the State Government of Punjab, registered a regular case against an IAS officer on the allegations of possession of assets disproportionate to the known sources of income for investigation on 25.2.1997.

जिला और ब्लाक स्तर पर शिकायत निवारण मशीनरी सेथापित किया जाना

3564. **श्री ईश दत्त यादवः** श्री नागमणिः

क्या सरकार का जिला और ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक शिकायत निवारण मशीनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यलय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमस्यन): (क) और (ख) राज्य,जिला और ब्लाक स्तरों पर लोक शिकायतों पर विचार करने और उनका निवारण करने का कार्य मुख्यत राज्य सरकारों द्वारा जाता है।

इस तरह की शिकायतों के निवारण तंत्र का गठन भी उन्हीं के द्वारा किया जाना होता है। अलग अलग राज्य सरकारों ने विभिन्न स्तरों पर कई तरह के शिकायत निवारआ तंत्र गठित किये हैं।

उपभात्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए दिशा निर्देश

3565. **श्री राम जेठमलानीः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सामांय उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा आवेटित किया जा रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों को कनेक्शन देने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(घ) प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा किस किस तारीख तक आवेदन करने वाले उपभोक्तओं को रसोई गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू)ः (क) और (ख) जी, हां।

(घ) एल पी जी कनेक्शन प्रतीक्षा सूचीबद्ध ग्राहकों को उनके पंजीकरण की परिपक्वता पर किसी खास टिस्ट्रीव्युटर को कनेक्शन जारी किया जाने पर जिसे वर्ष के कुल नामांकन योजना द्वारा निर्णीत किया जाता है, डिस्ट्रीब्युटर के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूची, इत्यादि पर निर्भर करते हुये पहले आओं पहले पाओ आधार पर जारी किये जाते हैं। आगे, वर्तमान वर्ष के दौरान कनेक्शन जारी करने के संबंध में लिप्रांकित श्रेणी को वरीयता दी जा रही हैः

1. 2000 फीट से अधिक ऊंचाईवाले पहाड़ी क्षेत्र
2. ताज ट्रेपजियम क्षेत्र।
3. नई डिस्ट्रीव्युटरशिपों का शुभारंभ।
4. 1 जनवरी, 1991 से पहने प्रतीक्षा सुचीवद्ध लोग।
5. तत्काल योजना।
6. अव्यवहार्य डिस्ट्रीव्युटर।
7. वरीयता के आधार पर जारी किये जाने वाले।

(ङ) सरकार ने 1 जनवरी, 1991 के पहले के पंजीकृत सभी लोगों को चालू वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर क्रम में एल पी जी कनेक्शन जारी करने कि लिये तेल कंपनियों को निर्देश दिया है।